रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2015/ज्येष्ठ 1, 1937
No. 1095] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2015/JYAISTHA 1, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2015

का.आ. 1384(अ).—**यतः**, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1171(अ), तारीख 23 मई, 2011 द्वारा केरल राज्य में कलमासेरी क्रासिंग रारा–17 के पास रारा 47 से प्रारंभ हो रहे तथा रारा–47 सी के वल्लारपड्म पर समाप्त हो रहे खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 तथा सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23, मार्च, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 47सी (नया रारा–966ए) के 0.000 कि.मी. से 17.122 कि.मी. (कलमासेरी से आइसीटीटी बल्लारपड्म सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) तक चार लेन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सड़क की कुल लम्बाई 14.283 कि.मी. और 2.839 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 28.393 कि.मी है) के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.)	3.45

(चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा–47 सी (नया रारा–966ए) के एर्नाकुलम जिले में पून्नरीमंगलम गांव के पास चैनेज/कि.मी 12.750	14.283 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना को छोड़कर)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
रारा–47 सी (नया रारा–966ए) के एर्नाकुलम जिले में पून्नरीमंगलम गांव के पास चैनेज/कि.मी 12.750	2.839	28.393

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

क्रम सं0	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1.	0+283.31	0+444.6	161.290
2.	4+046.94	4+143.43	96.490
3.	6+152.3	6+378.4	226.100
4.	6+802.08	7+221.88	419.800
5.	7+517.16	8+403.56	886.400
6.	9+016.11	9+112.6	96.490
7.	10+229.76	10+289.8	60.040
8.	12+043.8	12+103.85	60.050
9.	15+122.9	15+955.54	832.640
		कुल	2839.300

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे

वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से'–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 909.02 करोड़ रुपए (नौ सौ नौ करोड़ दो लाख रुपए मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/758/सीओ/14–15/जीसी कोचीन (0.000–17.122) पीएफ]

संजय बदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2015

S.O. 1384(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1171(E) dated 23rd May, 2011 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the section starting from NH-47 near Kalamassery, crossing NH-17 and terminating at Vallarpadam of National Highway No. 47C in the state of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 & G.S.R. 220(E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government, hereby, notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four lane section from km 0.000 to km 17.122 (Kalamassery to ICTT Vallarpadam Section) of National Highway No. 47C (New NH-966A) in the State of Kerala (hereinafter referred to as the "said section"), at the base rates specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate"), for total road length of 14.283 km and 2.839 km of structure (having length more than 60 m, equivalent length of 28.393 km) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**
Ch./km 12.750 near Ponnarimangalam Village in Ernakulam District of NH-47C (New NH-966A)	14.283 (Excluding length of structures >60 m)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**
Ch./km 12.750 near Ponnarimangalam Village in Ernakulam District of NH-47C (New NH-966A)	2.839	28.393

* The details of structure having length > 60 m is as under:-

S.No.	**Chainage**		**Length (m)**
	From Km	**To Km**	
1.	0+283.31	0+444.6	161.290
2.	4+046.94	4+143.43	96.490
3.	6+152.3	6+378.4	226.100
4.	6+802.08	7+221.88	419.800
5.	7+517.16	8+403.56	886.400
6.	9+016.11	9+112.6	96.490
7.	10+229.76	10+289.8	60.040
8.	12+043.8	12+103.85	60.050
9.	15+122.9	15+955.54	832.640
		Total	2839.300

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred and Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 909.02 Crore (Rupees Nine Hundred, Nine Crore and Two Lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/758/CO/14-15/GC Cochin (0.000-17.122) PF]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.